

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 198/1जी-FP/UK/ROAD/18605/2016 देहरादून: दिनांक: 15 जुलाई, 2016

सेवा में,
अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के किमी 4.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-2.25 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-3801 दिनांक 13/06/2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव 1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/18605/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर, गढ़वाल पौड़ी।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खिसू में गवाणा मोटर मार्ग के किमी 4.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-2.25 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी में 2.25 है० राजस्व वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 15/07/2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 3801 / FP/UK/ROAD/18605/2016 :देहरादून:दिनांक: 13 जून, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गवाणा—सुराड़ी गॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.250 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/18605/2015

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,


(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- 3801 / FP/UK/ROAD/18605/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

06